न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 115/2018, जी.सी.एम.एस. नं. 2018/00092

1. राजकुमार पुत्र स्व. छोटा
2. संजय पुत्र स्व. छोटा
3. सीमा पुत्री स्व. छोटा

} जातियान ब्राहम्ण निवासीयान सलावद हाल निवासी दरीबा कला किनारी, बाजार छत्ता प्रतापसिंह कायस्थ वाली गली म.नं. 2604, दिल्ली।

अपी0

बनाम

1. मु0 शान्ति वेवा गोपाल
2. सीता देवी पुत्री गोपाल

} जाति ब्राहम्ण निवासी उदेई कला तहसील गंगापुर सिटी

3. राजस्थान राज्य लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर, राज0।

रेस्पों0

(अपील विरूद्व निर्णय व डिग्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी मु0न0 1337/97 निर्णय व डिग्री दिनांक 23.10.2018)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपी0 की ओर से श्री श्याम मोहन शर्मा
2. रेस्पो0 की ओर से श्री गिर्राज प्रसाद गर्ग

निर्णय **दिनांक 30.11.2021**

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 1337/97 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.10.2018 उनवानी राजकुमार वगै0 बनाम शांति वगै0 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपी0 ने दावा बावत् इश्तकरारहक डिवीजन ऑफ होल्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम उदेई कलां में भूमि ख.नं. 1654, 2189, 2196, 2204, 2206, 2228, 2233, 2256, 2258, 2259, [illegible]61, 2263 कुल किता 13 रकबा 12.27 है0 वाके है। इस भूमि [illegible] ख.नं. 451, 533, 543, 2137 कुल 4 किता रकबा 51 [illegible] उक्त भूमि, वादी/अपी0 एवं प्रतिवादीगण/रेस्पों. की पैतृक है। इस भूमि में वादी/अपी0 का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादीगण/रेस्पों. का सम्मिलित रूप में 1/2 भाग है। वादी/अपी0 मृतक मिश्रीलाल की पुत्री है तथा प्रतिवादी/रेस्पों. सं. 1 मृतक मिश्रीलाल के पुत्र गोपाल की बेवा है। गोपाल की आज से करीब 15 साल पूर्व मृत्यु हो गयी है। प्रतिवादी/रेस्पों. सं. 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

की सम्पत्ति में कानूनन वादी/अपी0 का 1/2 व प्रतिवादीगण/रेस्पों. सं. 1 व 2 का 1/2 हिस्सा है। वादी/अपी0 के पिता की मृत्यु के उपरान्त खातेदारी का नामान्तरकरण गलत तौर से गोपाल पुत्र मिश्रीलाल के नाम दर्ज हो गया जबकि वादी/अपी0 का हिस्सा खातेदारी में 1/2 भाग दर्ज होना चाहिये था और गोपाल की मृत्यु के पश्चात् उक्त समस्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादी/रेस्पों. सं. 2 के नाम दर्ज हो गई। वादी/अपी0 का नाम उक्त भूमि की खातेदारी में 1/2 भाग में बतौर खातेदार दर्ज होना आवश्यक है। वादी/अपी0 को अपने जीवनकाल में गोपाल व उसके मरने के बाद प्रतिवादीगण/रेस्पों., वादी/अपी0 के हिस्से की पैदावार बांट दिया करते थे। माह चैत्र सुदी 2 सम्वत् 2046 में वादी/अपी0 जब अपना हिस्से का अनाज लेने गांव में आई तो प्रतिवादीगण/रेस्पों. ने हिस्सा देने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया व कहा कि तेरा इस कृषि भूमि से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अब हम तूझे कभी तेरा हिस्सा नहीं देंगे न भूमि का उपयोग व उपभोग करने देंगे। इसलिये दावा घोषणा खातेदारी व विभाजन भूमि करवाना आवश्यक हुआ है। अतः दावा विरूद्व प्रतिवादीगण/रेस्पों. प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रतिवादीगण/रेस्पों. को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वे वादी/अपी0 के हिस्से में आई भूमि के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/अपी0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपी0 का दावा खारिज किये जाने से व्यथित होकर वादीगण/अपी0 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि निर्णय व डिक्री दिनांक 23.10.2018 अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून रूहेदाद मिसिल है और विधि विरूद्व है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपी0 मु0 छोटा का जन्म हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने से पूर्व का मानकर अपी0 का अपने पिता की संपत्ति में 1/2 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी न मानकर अपी0 का दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है। दौराने दावा वादी मु0 छोटा की मृत्यु हो चुकी थी उसके स्थान पर उसके वारिसान रिकॉर्ड पर आ चुके है। जिसमें वाद सं. 02 में संजीव शर्मा के स्थान पर संजय शर्मा होना चाहिये था अर्थात संजीव शर्मा गलत लिख दिया गया था इसलिए वारिस सं. 2 का संजय शर्मा सही लिखा गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपी0 का जन्म सन् 1956 से पूर्व का मानकर उसका पैतृक संपत्ति में हिस्सा न मानकर दावा खारिज करने में भारी भूल की है। पहचान पत्र के आधार पर भी मृतक वादीया छोटा का जन्म 1958 का है। अधिनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय व डिग्री कर वाद पत्र खारिज करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आदेश दिए है वह उक्त प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश की श्रेणी में पारित किये है। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल द्वारा जारी निर्देशों की पालना में यह निर्णय पारित नहीं किया बल्कि अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर बिना इस विषय पर तनकीयात कायम कर एक मात्र उपधारणा खारिज किये जाने की बनाकर पारित किया है। माननीय राजस्व मण्डल की कई नजीरों में यह मत भी पारित किया है कि विचारण न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य की विवेचना करते हुये प्रत्येक तनकी पर अपना अभिमत प्रकट करना चाहिये, जो नहीं किया गया। इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिग्री खिलाफ कानूनन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अलावा पत्रावली पर वादीगण द्वारा जो दस्तावेज पेश किये थे जिनका हवाला अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में दिया है, से स्पष्ट साबित होता है कि दावे में वर्णित आराजीयात अपी० की पैतृक आराजीयात है तथा वादीगण को उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में किये गये गलत इन्द्राज की दुरूस्ती करनी चाहिये थी। अधिनस्थ न्यायालय को सिर्फ पैतृक संपत्ति में मृतक का उत्तराधिकारी मानकर ही दावा डिक्री कर देना चाहिये था ऐसा न करके अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। पुत्री को पिता की संपत्ति में जन्म से ही अधिकार कानून में दिया गया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपी० का दावा खारिज करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जावें।

4. रेस्पों. के विद्वान अधिवक्ता ने अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि ग्राम उदेई कलां की वादपत्र के चरण नं. 1 में वर्णित भूमि रेस्पों. नं. 1 के पति व रेस्पों. नं. 2 के पिता गोपाल की खातेदारी की भूमि है। रेस्पों. नं. 1 के ससुर मिश्रीलाल की मृत्यु सन् 1971 में हो गयी थी। इसके पूर्व ही मिश्रीलाल ने अपी० की मां छोटा की शादी कर दी थी और शादी के बाद मिश्रीलाल ने अपने मरने से पूर्व अपनी सम्पत्ति का बंटवारा भी कर दिया था। अपी० के हिस्से की संपत्ति के ऐवज में अपी० को गांव के पांच आदमियों व रिश्तेदारों के समक्ष मिश्रीलाल ने भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो इस वजह से अपी० की मां छोटा को 10,000/– रूपये नगद दे दिये जिसे अपी० की मां छोटा ने स्वीकार किया और मिश्रीलाल की सम्पत्ति से अपने समस्त अधिकार समाप्त कर लिये। मिश्रीलाल की मृत्यु सन् 1971 में हुई और मिश्रीलाल की मृत्यु के बाद लगातार उक्त भूमि को रेस्पों. नं. 1 का पति गोपाल ही काश्त करता चला आ रहा है और सरकारी लगान भी अदा करता [illegible] उक्त भूमि की खातेदारी का इन्द्राज भी मृतक गोपाल के नाम ही हो गया है। रेस्पों. [illegible] व 2 मृतक गोपाल के जायज वारिस है और उक्त भूमि रेस्पों. नं. 2 के नाम खातेदारी में दर्ज है। अपी० का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है न ही अपी० का उक्त भूमि में कोई हिस्सा है। रेस्पों. नं. 1 विधवा औरत है एवं रेस्पों. नं. 2 अल्प व्यस्क है। अपी० गांव के कुछ लोगों के बहकावे में आकर रेस्पों. नं. 1 व 2 की उक्त भूमि को हडपना चाहते है एवं अन्य लोगों

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

को विक्रय करना चाहते है। अपी0 की मां देहली में रहती थी और अपी0 कभी भी उदेई गांव में रेस्पों. सं. 1 के पति गोपाल के मरने के बाद भी नहीं आयीं। अपी0 रेस्पों. की मजबूरी का फायदा उठाकर एंव असहाय समझकर उक्त भूमि को हडपना चाहते है। पैतृक भूमि में पुत्रीयों का अधिकार सन् 2005 से पूर्व नहीं माना गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो का विधि पूर्वक अध्यनन एवं मनन कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री यथावत रखा जावे। न्यायिक दृष्टांत 2016 AIR(sc)769 एवं 2018 CCC(sc) 576 प्रस्तुत की गयी है।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अद्योपान्त अवलोकन किया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा मु0 शांति बनाम छोटा वैग0 में पारित निर्णय दिनांक 17.09.2012 द्वारा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि हिन्दू उत्तराधिकार के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में विरचित किये गये विवाधको का पृथक–पृथक विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी ने दिनांक 23.10.2018 को तनकीवार विश्लेषण कर निर्णय पारित किया है। तनकी सं. 1 के विश्लेषण में अभिलिखित है कि "वादिया का जन्म हिन्दू उत्तराधिकार लागू होने से पूर्व हुआ है या बाद में, इस तथ्य की जानकारी के लिए पत्रावली पर वादिया का कोई जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है परन्तु पत्रावली में वादिया मु0 छोटा ने दिनांक 30.04.99 को अपने बयान दर्ज करवाये है उसमें अपनी उम्र 45 वर्ष अंकित की है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादिया मु0 छोटा का जन्म हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने से पूर्व हुआ है। इस कारण वादिया मु0 छोटा अपने पिता की सम्पत्ति में 1/2 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।" जन्म पूर्व में होने से कोई प्रभाव नहीं पडता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के मध्यनजर विश्लेषण/वर्णन उच्चतर न्यायालयों द्वारा दिये निर्णयों के परिपेक्ष्य में नहीं किया है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटियुक्त है। अतः प्रकरण प्रतिप्रेषित योग्य है।

6. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0नं0 1337/97 [illegible] डिक्री दिनांक 23.10.2018 को अपास्त किये जाते है। प्रकरण अधिनस्थ [illegible] गंगापुर सिटी को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर निर्देशित किया जाता है [illegible] पक्ष को साक्ष्य व सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः [illegible] संगत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहां दिनांक 30.12.2021 को उपस्थित होवे।

7. निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

30.11.21

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner